

28/5/24

पत्रावली वालें निर्णय प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 में पेश हुई वकील उभयपक्ष की बख्त सूची में सुनी जा चुकी है वकील वादी आप प्रस्तुत बखाल प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 शामिल पत्रावली है वकील उभयपक्ष की बखत पर मनम विरती वकील प्रतिवादी आप प्रस्तुत सू प्रबंध की जमानदी संवत् 2052 अगुलाए वादबखल आरानी सं. 275 आखादी- रजि- रिवाडि है अतः उषत आरानी आखादी रजि- रिवाडि होने से वाद का अन्तर्धान एत न्यायालय का नहीं होने से वकील प्रतिवादी आप प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 का प्राधान्य पर कोषाए किया जाता है, वादबखल उषत क्रोध आखादी होने से वाद वादी स्थापित किया जाता है पत्रावली केवल सुगाए बखाल नंगा से कात हो

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर